प्रतिवेदन

कार्य का नाम :– राज्य योजना के अर्न्तगत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास – खण्ड डुण्डा के अर्न्तगत हरेती से जिनेथ होते हुए पटारा स्यालना मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई –3.50 किमी0)हेतु 0.874 **है0** सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त मोटर मार्ग की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृती शासनादेश संख्या–1426/(1)111(2)/16–02 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 30.03.2016 के द्वारा 5.00 किमी0 लम्बाई हेतु रू0 82.38 लाख की प्राप्ती हुयी है। इस मार्ग का समरेखण 3.50 किमी0 हेतु अधीक्षण अभियन्ता छठा वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी के पत्रांक– 4317/732 सी0–6/2015 दिनांक 5.10.2016 के द्वारा स्वीकृत हुआ है। प्रस्तावित समरेखण का भूगर्भीय निरिक्षण भूवैज्ञानिक द्वारा दिनांक 29.08.2016 को करा लिया गया है। भूगर्भीय निरिक्षण आख्या पृष्ठ संख्या पर संल्गन किया गया है। यह मोटर मार्ग पूर्व निर्मित कल्याणी–हरेती मोटर मार्ग से लोरयाणा बस्ती तक निर्मित किया जाना है।

जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास – खण्ड डुण्डा के अर्न्तगत प्रस्तावित मोटर मार्ग की वास्तविक लम्बाई 3.50 किमी0 है जिसमें 760.00 मी0 लम्बाई में सिविल सोयम भूमि पडती है मार्ग पर कहीं भी आरक्षित वन भूमि नही पडती है। मार्ग का संयुक्त निरिक्षण वन विभाग द्वारा 15.11.2016 को किया जा चुका है।जिसमे लगभग 15.00 चीड के वृक्ष आ रहें है मोटर मार्ग निर्माण हेतु उक्त वृक्षो को पातन किया जाना अति आवश्यक है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के उपरान्त हरेती जिनेथ व पैंथर के ग्रामवासियो को यातायात की सुविधा मिलेगी तथा गॉव उत्तरकाशी मुख्यालय से जुड जाएंगे।।

मोटर मार्ग निर्माण कार्य में पड़ने वाली 0.874 है0 सिविल वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

1–	डम्पिंग हेतु सिविल वन भूमि –	0.190 हे0
2–	मार्ग निर्माण हेतु सिविल भूमि –	0.684 हे0
	कुल योग –	0.874 हे0

उक्त सिविन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव चेक लिस्ट के आधार पर गठित किया गया है। अतः मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.874 है0 सिविल वनभूमि लो0नि0वि0, उत्तरकाशी के पक्ष में हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता 15/6
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
उत्तरकाशी